

संख्या - २०३ / १५-७-०५ - १६४७ । / २०५

प्रेषण,

गुरु गुरु गुरु  
गुरु गुरु गुरु  
उत्तम प्रदेश सरकार ।

सेवा मं.

गुरु गुरु गुरु  
गुरु गुरु गुरु  
द्वितीय विद्यालय ।

शिक्षा १७। अनुभाग

लघुत्तम: दिनांक:

०२ जून

२०५

विषय:-

इस विद्यालय के लिए इसकी सम्पत्ति और उपर्युक्त विधि की जानकारी देना चाहिए।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को श्रीदिल्ली तैसंबद्धता हतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्ननिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- १। विद्यालय की पंजीकृत सौंसाधनी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- २। विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सक सदस्य होंगा।
- ३। विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मध्याची बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उप्र०मा०शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- ४। संस्था द्वारा राज्य सरकार से इसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बोर्ड के विद्यालय संस्था के लिए इण्डियन स्कूल स्टॉफ़िकेट इकाया प्राप्त हो तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त ऐन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उप्र०मा०शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्यसरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

- १५। संस्था के शिक्षक एवं शिक्षितर कर्मचारियों को राजीव सहायता प्राप्त है। इन्हाँ के कर्मचारियों को अनुमत्य देतमानों तथा अन्य भत्तों से कम देतमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- १६। कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी और उन्हें सहायता प्राप्त अखासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों दो अनुमत्य सेवा निवृत्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे।
- १७। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- १८। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीयाँ में रखा जायेगा।
- १९। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशाधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूक घा शिक्षिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ग्रनापत्ति प्राप्ति पर वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

शिक्षा निवृत्ति  
त्रिवेदी राज्य।

### पूर्णसंख्या एवं दिनांक तट्टैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु  
प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, लालकरता।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय ३०५०, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, ब्राह्म कैरियर प्रक्रिया स्कूल लैडी लालकरता।
- 6- गार्ड बुक।

आग्रा से

शिक्षा निवृत्ति  
त्रिवेदी राज्य।